LL.B. 1st Sem. Paper-4 Torts law

Question 1. **अपकृत्य को परिभाषित कीजिए। तथा उसके आवश्यक तत्वों को समझाइऐ? अपकृत्य एवं अपराध में अन्तर कीजिए।**

Answer . अपकृत्य को परिभाषा– सामान्य रूप से अपकृत्य एक ऐसा वक्र या दुष्टतापूर्ण कार्य या चूक है जिससे किसी के विधिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। भारत में अपकृत्य या दुष्कृति की परिकल्पना अंग्रेजी विधि की देन है। अपकृत्य, अंग्रेजी विधि की देन है। अपकृत्य, अंग्रेजी शब्द टार्ट (Tort) या (wrong) रॉंग का हिन्दी रूपान्तरण है। अंग्रेजी शब्द टार्ट (Tort) लैटिन शब्द Tortum (टार्टम) से लिया गया है जिसका अर्थ है, वक्र करना या घुमाना।

अपकृत्य एक दीवानी अपकृत्य है जिसके लिए उपचार सामान्य विधि के अनुसार अपरिनिर्धारित नकुसानी की कार्यवाही करना है तथा जो एक मात्र संविदा भंग तथा न्यास भंग या केवल किसी अन्य साम्यिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं है। **–सामण्ड (Salmond)**

अपकृत्य पूर्ण दायित्व निधि द्वारा पूर्व निश्चित कर्त्तव्य भंग तथा अन्य सामान्य व्यक्तियों के प्रति होता है। इसके उल्लंघन के लिए उपचार अपरिनिर्धारित नुकसानी या प्रतिकर या क्षतिपूर्ति के लिए चलाया जाने वाला वाद है। – **विनफील्ड (Winfield)**

1. **प्रतिवादी की ओर से कोई दोषपूर्ण कृत्य या चूक–** किसी व्यक्ति को अपकृत्य के लिए उत्तरदायी बनाने के लिए यह साबित करना आवश्यक है कि उसने कोई ऐसा कार्य किया है जो विधितः उसे नहीं करना चाहिए था या उसने ऐसा कुछ करने में चूक की है करना विधितः उसका कर्त्तव्य था।
   ग्लासगो कारपोरेशन बनाम टेलर, 1922
2. **विधिक क्षति (Legal Damage) -** अपकृत्य के वाद में सफल होने के लिए वादी को यह साबित करना होगा कि उसे विधिक क्षति हुई है। दूसरे शब्दों में कोई कार्य या चूक हुई है जिससे या तो विधिक कर्त्तव्य का भंग हुआ है या किसी व्यक्ति में निहित विधिक अधिकारों का उल्लंघन या हनन हुआ है।
3. **अपरिनिर्धारित क्षतिपूर्ति (Unliquidated Damage) -** अपकृत्य का एक आवश्यक लक्षण यह भी है कि इसके उपचार के रूप में न्यायालय द्वारा अपरिनिर्धारित क्षतिपूर्ति प्रदान की जाती है। अपरिर्धारित क्षतिपूर्ति वह है जिसका

निर्धारण न्यायालय द्वारा किया जाता है पक्षकारों द्वारा नहीं । यही तत्व या लक्षण अपकृत्य को संविदा भंग से पृथक करता ळें

अपकृत्य (**Tort**)	अपराध (**Crime**)
1.अपकृत्य एक दीवानी दोष है।	1.अपराध एक आपराधिक दोष है।
2.अपकृत्य में वाद व्यथित पक्षकार अभियुक्त लाता है।	2.अपराध में सरकार की ओर से का अभियुक्त का अभियोजन किया जाता है।
3. अपकृत्य में उपचार सिर्फ अपरिनिर्धारित क्षतिपूर्ति के लिए वाद है।	3. अपराध समाज के विरूद्ध दोष माना जाता है अतः दोषी व्यक्ति को कारावास या अर्थ दण्ड या दोनों से दण्डित किया जाता है।
4. अपकृत्य एक व्यक्तिगत दोष होता है।	4. अपराध सामाजिक दोष होता है।

<u>Question 2.</u> Explain the following two maxims and distinguish between them.

1. **बिना हानि के क्षति – (Damnum sine Injuria)**
2. **बिना क्षति के हानि – (Injuria sine Damnum)**

<u>Answer</u> .

1. **बिना हानि के क्षति (Damnum sine Injuria) – Injuria Sine Damnum** का अर्थ हुआ बिना हानि के क्षति। किसी व्यक्ति के विधिक अधिकारों पर हुआ कोई भी हस्तक्षेप अनुयोज्य होता है, चाहे उससे उसे कोई वास्तविक हानि हुई हो या नहीं। सामण्ड के अनुसार अपकृत्य दो प्रकार के होते हैं– एक जो स्वतः अनुयोज्य होता है और दूसरे वे जो केवल वास्तविक क्षति के साबित होने पर ही अनुयोज्य होते हैं। बिना हानि के क्षति स्वतः अनुयोज्य की श्रेणी में आता है। सारांशतः विधि द्वारा सुरक्षित व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण के लिए अपकृत्य का वाद चलाया जा सकता है, भले ही उससे धन, स्वास्थ्य आदि के रूप में

किसी को कोई हानि हो अथवा नहीं। कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जिनके अतिक्रमण के विरूद्ध प्रतिवादी पर वाद तभी चलाया जा सकता है जब उससे वादी को कोई वास्तविक क्षति हुई हो।

ऐशबी बनाम व्हाइट (1703, 2 एल0 ओ0 रेमण्ड 938) का वाद 'बिना हानि की क्षति' सूत्र का स्पष्टीकरण करता है।

मुख्य न्यायाधिपति होल्ट ने कहा कि – ' प्रत्येक विधिक अधिकार के अतिक्रमण से हानि होती है चाहे उससे किसी को एक पैसे का भी नुकसान न हो।

2. **बिना क्षति के हानि – (Injuria sine Damnum)** इस का तात्पर्य हानि जो बिना क्षति के अर्थात् विधिक अधिकारों के अतिक्रमण के बिना होती है। विधिक अधिकार के उल्लंघन के बिना जो हानि होती है। वह चाहे कितनी ही अधिक क्यों न हो अपकृत्य में अनुयोज्य नहीं होती।

केवल धन या सम्पत्ति की हानि से क्षति नहीं होती है। ऐसे अनेक कार्य होते हैं जो हानिकारक तो होते हैं किन्तु अनुचित नही होते और उनके आधार पर अपकृत्य में वाद नही चलाया जा सकता है। अपकृत्य विधि में अनुचित कृत्य वे होते हैं जिनके द्वारा वादी के विधिक अधिकारों का किसी प्रकार उल्लंघन होता है।

यदि किसी व्यक्ति के विधिक अधिकार के प्रयोग से किसी दूसरे व्यक्ति की हानि होती है तो उसके विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है। संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति उचित सीमा के भीतर अपने सामान्य अधिकारों का प्रयोग करते हुए किसी अन्य व्यक्ति को कोई हानि पहुॅचाता है तो उसके विरूद्ध अपकृत्य के लिये कार्यवाही नहीं की जा सकती है।

ग्लूसेस्टर ग्रामर स्कूल का मामला–

सीतारमैया बनाम मलक्ष्म्मा–

<u>Question 3.</u> अपकृत्य विधि में साधारण अपवादों की विवेचना कीजिए।

<u>Answer</u> . विभेद या मतभेद सामण्ड तथा विनफील्ड के मध्य अपकृत्य विधि की प्रकृति के बारें में विद्यमान मतभेद से उत्पन्न हुआ । सामण्ड ने अपनी पुस्तक ' अपकृत्यों की विधि (Law of Torts) में अपकृत्य विधि को विधि माना है सामण्ड के अनुसार अपकृत्य विधि कुछ विशिष्ट अपकृत्यों की विधि है कि तथा व्यथित पक्षकार को सफल होने के लिए यह साबित करना होता है कि उसका मामला कुछ निर्धारित या निश्चित अपकृत्यों मे से एक है

। जिसके लिए पहले से ही उपचार की व्यवस्था है, अर्थात् सामण्ड जहॉ उपचार है वहीं अधिकार (न्याय) है के सिद्धान्त को मान्यता देते हैं।

दूसरी ओर विफील्ड अपनी पुस्तक अपकृत्य विधि के अन्तर्गत अपकृत्य विधि को अपकृत्य की विधि मानते हैं। विनफील्ड के अनुसार अपकृत्य विधि के अन्तर्गत वह प्रत्येक अपकृत्य पूर्ण कार्य अपकृत्य है जिसके लिए कोई औचित्य या अपवाद नहीं है। विनफील्ड के अनुसार अपकृत्य विधि को किन्हीं निश्चित अपकृत्यों की सीमा में बॉधना उचित नहीं है। विनफील्ड के अनुसार अपकृत्य विधि एक विकसित विधि है। प्रत्येक व्यक्ति जिसके विधिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, उसे उपचार प्राप्त करने का अधिकार है। जहॉ अधिकार (न्याय) है वहॉ उपचार है नामक सिद्धान्त को विनफील्ड नें मान्यता दी गई थी।

Question 4. **'दैवकृत्य' तथा अपरिहार्य या अवश्यम्आवी दुर्घटना को समझाइए। दुष्कृत्य की विधि में सामान्य बचाव के रूप में दैवकृत्य तथा अपरिहार्य दुर्घटना के बीच अन्तर को समझाइए।**

Answer . 'दैवकृत्य' – 'दैवकृत्य' एक सफल बचाव या प्रतिवाद है। रेलैण्ड बनाम फ्लेचर के वाद में भी दैवी कृत्य को बचाव के रूप में मान्यता दी गई थी। दैवी कृत्य ऐसा कृत्य है जिसमें प्रकृति के कारक की घटना या दुर्घटना के पीछे प्रमुख कारक या उत्तरदायी कारण होते है। यदि प्रतिवादी सफलतापूर्वक यह साबित कर दे कि वादी को हुई क्षति के लिए अत्यधिक वर्षा ,भूकम्प या तूफान या ज्वालामुखी जैसी प्राकृतिक आपदायें उत्तरदायी हैं तथा उसमें मानवीय कारक का कोई योगदान नहीं है तो वह प्रतिकार के दायित्व से बच सकता है।

हैल्सबरी ला ऑफ इंग्लैण्ड दैवी कृत्य –

सफलतापूर्वक दैवी कृत्य को बचाव लेने हेतु दो शर्ते पूरी की जानी आवश्यक हैं–

1. प्राकृतिक बलों का होना ।
2. घटना असामान्य तथा ऐसी होनी चाहिए जिसका अनुमान लगाना सम्भव नहीं था तथा जिससें बचने के उपाय करना सम्भव नहीं था।

रामलिंगा नाडार बनाम रेडियार ए0 आई0 आर0 1971 केरल 197.

निकोलस बनाम मार्शलैण्ड (1876) 2 एक्सचेकर डिवीजन 1.

कल्लू लाल बनाम हेमचन्द्र AIR 1958 M.P. 48

अपरिहार्य या अवश्यम्आवी दुर्घटना– दुर्घटना का अर्थ है अप्रत्याशित तथा अनियोजित घटना। अपरिहार्य दुर्घटना का अर्थ ऐसी दुर्घटना से लगाया जाना चाहिए जिसे सम्भव प्रयासों के बावजूद भी बचाया जा सकता हो। यदि दुर्घटना को प्रतिवादी की युक्तियुक्त सावधानी से बचाया जा सकता हो तो उसे अपरिहार्य दुर्घटना का बचाव उपलब्ध नहीं होगा।

स्टेनले बनाम पोवेल (1891) 11 क्वीन बेन्च 86.

पद्मावती बनाम दुग्गा नाइका (1975) ए0 सी0 जे0 222.

<u>Question 5.</u> प्रतिनिहित दायित्व (प्रतिनिधिक दायित्व) को परिभाषित कीजिए। और उन दशाओं को समझाइए जिनमें इस दायित्व का उदय होता है। क्या सेवक के कपटपूर्ण कृत्य के लिए स्वामी उत्तरदायी का उदय होता है?

<u>Answer</u> . प्रतिनिहित दायित्व या (प्रतिनिधायी दायित्व (vicarious Liability)

साधारणतया एक व्यक्ति अपने स्वयं द्वारा किये गए अपकृत्यात्मक कार्यो के परिणामों के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता है। परन्तु कुछ परिस्थितियों ऐसी हैं जिनमें एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए अपकृत्यात्मक कार्यो के परिणामों के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता है। ऐसे दायित्व को प्रतिनिधायी(प्रतिनिहित) दायित्व की संज्ञा दी गई है। इसका सबसे प्रमुख उदाहरण सेवक द्वारा किये गये अपकृत्यात्मक कार्यो के लिए स्वामी का उत्तारदायी होना है।

1. **अनुसमर्थन द्वारा (By Ratification)-** यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की ओर से कोई अपकृत्यपूर्ण कार्य करता है जिसके लिए उसे प्राधिकृत नहीं किया गया था, परन्तु बाद में यदि वह व्यक्ति उस कार्य का अनुसमर्थन कर देता है तो अनुसमर्थन करने वाला व्यक्ति उस व्यक्ति अपकृत्यपूर्ण कार्य के परिणामों के लिए उत्तरदायी होगा जिसका उसने अनुसमर्थन किया है। यहॉ यह अनुमान किया जाता है।
2. **विशेष सम्बन्ध के कारण दायित्व (Liability due to certain relationship)-**

इस शीर्षक के अन्तर्गत दायित्व निम्न सम्बन्धों के अस्तित्व के कारण उत्पन्न होता है।

(i)स्वामी तथा सेवक।

(ii)प्रधान स्वामी तथा अभिकर्त्ता

(iii)फर्म तथा उसके भागीदार

(i)स्वामी तथा सेवक– स्वामी सेवक के अपकृत्यों के लिए तभी दायी होगा जब सेवक ने ऐसा अपकृत्य नियोजन के अनुक्रम में किया हो। सेवक उस व्यक्ति को कहते है।जिसे किसी व्यक्ति ने कार्य करने के लिए नियुक्त किया हो और वह उस व्यक्ति के निर्देशन और नियंत्रण के अधीन कार्य करता हो।

हेड मिस्टेस,गवर्नमेन्ट गर्ल्स हाई स्कूल बनाम महालक्ष्मी, ए0 आई0 आर0 1998 मद्रास 86

(ii)प्रधान स्वामी तथा अभिकर्त्ता – जब कोई मालिक अपना कार्य किसी एजेण्ट से करवाता है और वह उन कार्यो के करने में कोई गलती करता है जिससे किसी व्यक्ति को क्षति पहुॅचती है तो एजेण्ट के कार्यो के लिए उसका मालिक दायी होता है।

(iii)फर्म तथा उसके भागीदार– जब कोई भागीदार फर्म के कारबार के सामान्य अनुक्रम में अपकृत्य करता है तो फर्म दायी होती है।

हुड़क चन्द बनाम गोविन्द लाल खेतड़ी (1906) 12 कल0 के वाद

3. **उत्प्रेरण के मामलों में (In cases of Abatement)-** यदि एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को कोई अपकृत्यात्मक कार्य करने के लिए उत्प्ररित करता है तो वह उत्प्रेरित करने वाला व्यक्ति उसके उत्प्रेरक के फलस्वरूप किए गए कार्यो के लिए प्रतिनिधायी उत्तरदायित्व के सिद्धान्त के अन्तर्गत उत्तरदायी होता ळें

Question 6. Explain the following maxim-

निम्नलिखित सूत्र को समझाइए–

1. जहॉ अधिकार है वहॉ उपचार है। **(Ubi Jus ibi remedium)**
2. घटना स्वयं बोलती है। **(Res ipsa loquitur)**

Answer . जहॉ अधिकार है वहॉ उपचार है। (Ubi Jus ibi remedium)- अपकृत्य विधि में इस सूत्र का बहुत बड़ा महत्व है। वास्तव में अपकृत्य का विकास ही इस सूत्र पर आधारित है। इस सूत्र अधिकारों का अस्तित्व ही उपचार भी सुलभ होना चाहिए। यह सत्य ही है। अधिकारों का अस्तित्व ही उपचार पर निर्भर है। बिना उपचार के विधि उसी प्रकार की है जैसे कोई विषैला सर्प डस तो सकता है परन्तु डसने वाले उसके पास विषदन्त हैं ही नहीं।

जहॉ अधिकार है, वहॉ उपचार भी है, नामक सिद्धान्त का प्रतिपादन सर्वप्रथम **एशबी** बनाम **व्हाइट** (1703, 2 L.D रेमण्ड 938) के मामले में किया गया था। इस वाद में वादी एक संसदीय निर्वाचक मण्डल का मतदाता था।

भारजटटी बनाम **विलियम्स (1830, 1 वी0 एड0 415) एशबी** बनाम **व्हाइट** को आधार मानकर निर्णय दिया गया। इस वाद में वादी का प्रतिवादी के बैंक में पर्याप्त धन था फिर भी बैक ने उसके चेक का भुगतान करने से इन्कार कर दिया । न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि वादी बैंक से नुकसानी पाने का हकदार था।

म्युनिसिपल बोर्ड आगरा बनाम अशर्फीलाल (1921, 1 आई0 एल0 आर0 44 इलाहाबाद 202) के वाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जहॉ अधिकार है वहॉ उपचार है' नामक सिद्धान्त को मान्यता दी।

Question 7. मिथ्या कारवास की परिभाषा दीजिए। इसके आवश्यक तत्व समझाइए। मिथ्या कारावास किन परिस्थितियों में औचित्यपूर्ण माना जाता है?

Answer . प्रो0 बिनफील्ड के अनुसार, बिना किसी विधिक औचित्य के किसी आवागमन की स्वतन्त्रा पर पूर्ण प्रतिबन्ध अधिरोपित करना मिथ्या कारावास का अपकृत्य होगा चाहे यह थोड़ी ही देर के लिए क्यों न हो। यह स्मरणीय है कि जहॉ एक व्यक्ति से आवागमन की व्यक्तिगत स्वतन्त्रा छीन ली गई हो वहॉ मिथ्या बन्दीकरण का अपकृत्य होगा यदि यह बिना किसी विधिक औचित्य के हो, यह आवश्यक नहीं कि मिथ्या बन्दीकरण चहारदीवारी में हो यह आकाश में हो सकता है, यह ट्रेन मे हो सकता है, यह मैदान में हो सकता है, यह किसी व्यक्ति के आवास में हो सकता है। आवश्यक यह है कि वादी की आवागमन की व्यक्तिगत स्वतन्त्रता पर पूर्ण प्रतिबन्ध (अवरोध) हो। मिथ्या बन्दीकरण अपकृत्य के निम्न आवश्यक तत्व हैं–

(1) किसी व्यक्ति की स्वतन्त्रता पर पूर्ण अवरोध हो,

(2) यह अवरोध बिना किसी विधिक औचित्य के हो।

(क) पूर्ण अवरोध (Total restraint)- आपराधिक विधि के अर्न्तगत अवरोध पूर्ण हो या आंशिक वाद लाया जा सकता है। यदि अवरोध पूर्ण है तथा वादी किसी भी दिशा में जाने से रोका जाता है तो यह मिथ्या परिरोध होता है जिसे भारतीय दण्ड संहिता की धारा 340 के अर्न्तगत अपराध के रूप में परिभाषित किया गया है।

वर्ड बनाम **जोन्स (1845) 7 क्यू0 बी0 742. नामक वाद में**

मी0 बनाम **कुकशैंक (1902) 86 एल0 टी0 708. नामक वाद में**

हेरिंग बनाम **बॉयल 149 ई0 आर0 1126 (1934) नामक वाद में**

मियरिंग बनाम **ग्राहेम वाइट एवियेशन कं0 (1920) 122 एल0 टी0 44. नामक वाद में**

(ख) अवरोध बिना किसी विधिक औचित्य के हो (Restraint must be without lawful justification) - यदि किसी व्यक्ति को विधिक औचित्य के अर्न्तगत अवरोधित या कारावासित किया जाता है तो प्रतिवादी उत्तरदायी नहीं होगा। परन्तु कैदी की रिहाई के पश्चात् कुछ मिनट के लिए कारावासित करना विधि– विरूद्ध माना जायेगा।

रूदल शाह बनाम **बिहार राज्य (ए0 आई0 आर0 1983 सु0 को0 1086.)** नामक वाद में

भीम सिंह बनाम **जम्मू एण्ड कश्मीर राज्य (ए0 आई0 आर0 1986 सु0 को0 494)**

राबिन्सन बनाम **बाल मेन फेरी कम्पनी लि0 (1910)**

वादी को पलायन के मार्ग की उपलब्धता– यदि वादी को पलायन का मार्ग उपलब्ध था जिसकी उसे जानकारी थी तथा वह पलायन के मार्ग का प्रयोग करने में सक्षम था तो उसे मिथ्या कारावास के लिए वाद में सफलता नहीं मिलेगी। परन्तु यदि पलायन का मार्ग ऐसा है जिसका युक्तियुक्त प्रयोग वादी नहीं कर सकता था तो उसे मिथ्या कारावास के लिए प्रतिकर प्राप्त होगा।

Question 8. Distinguish between following –

निम्नलिखित में अन्तर बताइए–

(1) Tort and Breach of contract (अपकृत्य एवं संविदा भंग)

(2) Tort and Crime (अपकृत्य एवं अपराध)

(3) Tort and Breach of Trust (अपकृत्य एवं न्याय भंग**)**

(4) Assault and Battery (हमला और संप्रहार**)**

(5) Malicious Prosecution and false imprisonment
(विद्वेषपूर्ण अभियोजन एवं मिथ्या कारवास**)**

<u>Answer</u> . (1) Tort and Breach of contract (अपकृत्य एवं संविदा भंग**)-**

अपकृत्य	संविदा भंग
1. अपकृत्य एक ऐसा कर्त्तव्य भंग है जहॉ कर्त्तव्य विधि द्वारा अधिरोपित है।	1. संविदा भंग में कर्त्तव्य सक्षम पक्षकारों की आपसी सहमति से अधिरोपित होते हैं।
2. अपकृत्य में व्यथित पक्षकार को उपचार के रूप में अपरिनिर्धारित क्षतिपूर्ति हेतु वाद लाना है।	2. संविदा भंग के लिए उपचार के रूप में वाद परिनिर्धारित तथा अपरिनिर्धारित दोनों प्रकार की क्षतिपूर्ति प्रदान करने हेतु वाद लाया जाता है।
3. अपकृत्य में कोई भी व्यक्ति जिसके विधिक अधिकारों का हनन हुआ है, क्षतिपूर्ति हेतु वाद ला सकता है।	3.संविदा भंग के लिए वह व्यक्ति जो संविदा का पक्षकार नहीं है, वाद नहीं ला सकता ।

(1) Tort and Crime (अपकृत्य एवं अपराध **)-**

अपकृत्य (**Tort**)	अपराध (**Crime**)
1.अपकृत्य एक दीवानी दोष है।	1.अपराध एक आपराधिक दोष है।
2.अपकृत्य में वाद व्यथित पक्षकार	2.अपराध में सरकार की ओर से अभियुक्त

लाता है।	का अभियुक्त का अभियोजन किया जाता है।
3.अपकृत्य में उपचार सिर्फ अपरिनिर्धारित माना	3. अपराध समाज के विरूद्ध दोष
क्षतिपूर्ति के लिए वाद है।	जाता है अतः दोषी व्यक्ति को कारावास
	या अर्थदण्ड या दोनों से दण्डित किया
	जाता है।
4. अपकृत्य एक व्यक्तिगत दोष होता है।	4. अपराध सामाजिक दोष होता है।

Question 9. **कठोर दायित्व का सिद्धान्त क्या है? एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया, AIR 1987 S.C के बाद में प्रतिपादित पूर्ण दायित्व के सिद्धान्त के सम्बन्ध में इसको व्याख्या कीजिए।**

अथवा

रायलैण्ड बनाम फ्लेचरए 1868 H.L. के बाद में प्रतिपादित कठोर दायित्व के नियम की विवेचना कीजिए तथा इसके विभिन्न अपवादों का भी उल्लेख कीजिए।

Answer . कभी–कभी एक व्यक्ति अपकृत्य पूर्ण कार्य के लिए उत्तरदायी होता है यद्यपि अपकृत्य में उसका कोई दोष या त्रुटि नहीं होती। ऐसे उत्तरदायित्व या दायित्व को दोषहीन दायित्व या त्रुटिहीन दायित्व भी कहा जाता है। ऐसे मामलों में दायित्व कठोर होता है। यहॉ दायित्व निर्धारण में अपकृत्य कर्त्ता की उपेक्षा या आशय ध्यान में नहीं लिया जाता है।

सन् 1868 में प्रसिद्ध **राइलैण्ड** बनाम **फ्लेचर** 1868 एल0 7 आर0 एच0 एल0 330 नामक वाद में प्रतिपादित किया गया था। प्रतिवादी को गड्ढो का पता नहीं था तथा प्रतिवादी की उपेक्षा साबित नहीं की गई थी इसके अतिरिक्त जलाशय का निर्माण स्वतन्त्र ठेकेदार द्वारा कराया गया था इस आधार पर उत्तरदायी ठहराया गया।

ऐसे मामलों में जहॉ दायित्व उपेक्षा या जानकारी के अभाव में तथा आशय के अभाव में निर्धारित किया जाता है, कठोर दायित्व कहा गया है। इसे पूर्ण दायित्व इसलिए नहीं कहा गया क्योंकि एक्सचेकर न्यायालय के न्यायमूर्ति ब्लैक बर्न ने

ऐसे मामलों में भी दों अपवादों या बचावों को मान्यता दी थी। यदि इन बचावों को स्वीकार नहीं किया गया होता तो यह पूर्ण दायित्व दायित्0 कहलाता ।

कठोर दायित्व का सिद्धान्त– इस सिद्धान्त के अनुसार यदि एक व्यक्ति अपनी भूमि का असहज या अप्राकृतिक उपयोग करते हुए, अपनी भूमि पर ,अपने नियंत्रण में कोई खतरनाक वस्तु लाता है तथा उसकी सतर्कता, या जानकारी के अभाव में भी यदि उस खतरनाक वस्तु का उस व्यक्ति के नियन्त्रण से पलायन हो जाता है जिसके परिणामस्वरूप किसी को क्षति होती है।

कठोर दायित्व की आवश्यक शर्तें –

1. किसी व्यक्ति द्वारा अपनी भूमि पर कुछ खतरनाक वस्तु अवश्य लाई गयी हो।
2. उस पर लाई गई अथवा रखी गई वस्तु अवश्य ही नियन्त्रण से (बाहर निकली) पलायन की हो।
3. इस भूमि पर खतरनाक वस्तु भूमि के असहज या अप्राकृतिक उपयोग करते हुए लाई गई हो।

1. **खतरनाक वस्तु (Dangerous Things)** – खतरनाक वस्तु क्या है यह मामले की परिस्थितियों पर आधारित है। कठोर दायित्व का सिद्धान्त लागू होने के लिए यह साबित किया जाना आवश्यक है ।
2. **वस्तु का प्रतिवादी के नियन्त्रण से बाहर निकलना (फ्लायन– Escape)–**
3. **भूमि का असहज सा अस्वाभाविक उपयोग (Non- Natural Use)-**

टी0 सी0 बाल कृष्ण मेनन बनाम टी0 आर0 सुब्रामनिसन (AIR 1986 केरल 151.)

म0 प्र0 विधुत परिषद बनाम शैल कुमारी, AIR 2002 S.C. 55

Question 10. Write a short Note-

निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए–

1. पूर्ण दायित्व का सिद्धान्त **(Principal of Absolute Liability)-**
2. मानसिक आघात **(Nervous Shock) –**
3. दैवकृत्य **(Act of God) –**
4. विद्वेषपूर्ण अभियोजन **(Malicious Prosecution) –**
5. भूल **(Mistake) –**

6. आवश्यकता **(Necessity) –**

7. प्राइवेट प्रतिरक्षा **(Private Defence)-**

1. <u>पूर्ण दायित्व का सिद्धान्त (Principal of Absolute Liability)-</u> पूर्ण दायित्व के सिद्धान्त के अनुसार यदि कोई उद्योग किसी ऐसे खतरनाक अथवा स्वभाव से संकटपूर्ण व्यवसाय में रत है जिससे लोगों के स्वास्थ्य तथा सुरक्षा को भय की सम्भावना है तब उद्योगस्वामी का यह दायित्व पूर्ण (absolute) होता है तथा उसका अनियोज्य (Non delegable) कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करें कि उस कार्य से किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की क्षति घटित न हो। यदि उस कार्य से किसी को क्षति होती है त बवह उद्योग उस क्षति की क्षतिपूर्ति के लिए पूर्णतया उत्तरदायी होगा तथा वह अपने इस दायित्व का इस दलील से निवारण नहीं कर सकता कि उसकी कोई उपेक्षा न थी तथा **राइलैण्ड बनाम फ्लेचर** में प्रतिपादित कठोर दायित्व का सिद्धान्त भारतीय परिस्थितियों पर लागू नहीं होगा।

'पूर्ण दायित्व का नियम" भारत में उच्चतम न्यायालय द्वारा एम0 सी0 मेहता बनाम यूनियम ऑफ इण्डिया, (1987) के वाद में सृजित किया गया, नियम इसलिए इसे एम0सी0 मेहता का नियम, भी कहा जाता है। इसको पूर्ण दयित्व उत्पन्न होता है तथा इस नियम के अन्तर्गत वह अपवाद मान्य नहीं है जो कि **रालैण्ड्स बनाम फ्लेचर** के कठोर दायित्व के नियम के अन्तर्गत मान्य है।

2. दैवकृत्य' (Act of God)– 'दैवकृत्य' एक सफल बचाव या प्रतिवाद है। रेलैण्ड बनाम फ्लेचर के वाद में भी दैवी कृत्य को बचाव के रूप में मान्यता दी गई थी। दैवी कृत्य ऐसा कृत्य है जिसमें प्रकृति के कारक की घटना या दुर्घटना के पीछे प्रमुख कारक या उत्तरदायी कारण होते है। यदि प्रतिवादी सफलतापूर्वक यह साबित कर दे कि वादी को हुई क्षति के लिए अत्यधिक वर्षा ,भूकम्प या तूफान या ज्वालामुखी जैसी प्राकृतिक आपदायें उत्तरदायी हैं तथा उसमें मानवीय कारक का कोई योगदान नहीं है तो वह प्रतिकार के दायित्व से बच सकता है।

हैल्सबरी ला ऑफ इंग्लैण्ड दैवी कृत्य –

सफलतापूर्वक दैवी कृत्य को बचाव लेने हेतु दो शर्ते पूरी की जानी आवश्यक हैं–

1. प्राकृतिक बलों का होना ।

2. घटना असामान्य तथा ऐसी होनी चाहिए जिसका अनुमान लगाना सम्भव नहीं था तथा जिससें बचने के उपाय करना सम्भव नहीं था।

रामलिंगा नाडार बनाम रेडियार ए0 आई0 आर0 1971 केरल 197.

निकोलस बनाम मार्शलैण्ड (1876) 2 एक्सचेकर डिवीजन 1.

कल्लू लाल बनाम हेमचन्द्र AIR 1958 M.P. 48

4. Mistake (भूल) – भूल, चाहे वह तथ्य की हो या विधि की सामान्यतः अपकृत्य के अन्तर्गत की गई किसी कार्यवाही के लिये प्रतिरक्षा के तर्क के रूप में मान्य नहीं है। जब कोई व्यक्ति के अधिकारों के साथ हस्तक्षेप करता है, तो उसका यह कहना प्रतिरक्षा के अभिवाक् के रूप में स्वीकार नहीं किया जायेगा कि उसने ईमानदारी के साथ यह विश्वास किया था कि ऐसा करना उसके लिये औचित्यपूर्ण है, जबकि ऐसा कोई भी औचित्य वहां विद्यमान नहीं था। किसी दूसरे व्यक्ति की भूमि में यह सोचकर प्रवेश करना कि यह स्वयं उसी की भूमि है, अतिचार है, दूसरों की भेड़ों को अपनी भेड़ो के झुण्ड में मिलाना माल का अतिचार है, मानहानि के आशय के बिना दूसरों की ख्याति को क्षति पहुॅचाना मानहानि है। **कान्सोलिडेटेड कम्पनी** बनाम **कुर्टिस** के वाद में एक ग्राहक ने एक नीलामकर्ता से कुछ माल नीलाम करने को कहा। नीलामकर्ता ने ईमानदारी के साथ यह विश्वास कर लिया कि माल ग्राहक का ही है, अतः उसने वह माल नीलाम कर दिया और विक्रय मूल्य का भूगतान ग्राहक को कर दिया। वास्तव में वह माल किसी अन्य व्यक्ति का था। वास्तविक स्वामी द्वारा कार्यवाही करने पर नीलामकर्ता को सम्परिवर्तन के अपकृत्य के लिये उत्तरदायी ठहराया गया ।

वसूली बनाम **क्लार्कसन्,** (1681) 3Lev.37.

हिक्स बनाम फाकनेर, (1881) 8 Q.B.D.167; **हरनीमैन** बनाम **स्मिथ,** (1938) A.V.315.

हल्टन एण्ड कम्पनी बनाम **जोन्स,** (1910) A.C. 20;

4. **आवश्यकता (Necessity) –** यदि किसी ऐसे कार्य से क्षति कारित हुई है, जिसे किसी उससे बड़ी क्षति के निवारण की आवश्यकता से अभिभूत होकर किया गया है, तो वह कार्यवाही योग्य नहीं है, चाहे भले ही वह कार्य साशय किया गया हो। आवश्यकता (Necessity) का प्राइवेट प्रतिरक्षा में अन्तर है। आवश्यकता के अन्तर्गत किसी निर्दोष व्यक्ति को हानि पहुॅचाई जाती है, जबकि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अन्तर्गत हानि इसलिये कारित की जाती है, क्योंकि स्वयं वादी ही अपकारी है। आवश्यकता और अनिवार्य दुर्घटना में भी

अन्तर है। आवश्यकता के अन्तर्गत हानि आशयित होती है, जब कि अनिवार्य के अन्तर्गत हानि के रोकने के अधिकत्तर प्रयास के बावजूद भी हानि कारित हो जाती है।

किसी जलयान को हल्का करने के लिये उस पर लदे माल को जल में फेंकना ताकि जलयान या उस पर सवार यात्री डूबने से बच जाएं या अग्नि के प्रसार को आगे फैलाने से रोकने के लिये किसी मकान को गिराना, इसके उदाहरण है। इसी प्रकार, किसी डुबते हुये व्यक्ति कों खींचकर जल से बाहर ले आना या किसी अचेतित व्यक्ति का जीवन बचाने के लिये शल्य चिकित्सक हेतु उसे चिकित्सक के पास ले जाना कार्यवाही योग्य नहीं है।

लेघ बनाम **ग्लेडस्टोन** के वाद में ।

कोप बनाम **शार्प** के वाद में ।

कार्टर बनाम **थामस** के वाद में।